न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

तासीन अधिकारी :– श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

कदमा संख्या :– 57/2018

श्री लादु लालेश्वर कलोता नि. करणावास ...प्रार्थी

बनाम

1– श्री लोहरू s/o अैन. कलोता नि. करणावास, कलेक्टर = ..

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आ दे श ::

दिनांक– 10-4-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करणावास पटवार हल्का करेडा तहसील मांडल / करेडा में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं 664 रकबा 2.01 बीघा कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। जादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि को पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22-2-18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह धारा सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे में होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये सैसांगक एवं न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करणावास पटवार हल्का करेडा तहसील मांडल / करेडा में स्थित आराजी नम्बर 664 कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा भूमि के चारों तरफ, सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक करणावास को 300/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार मांडल / करेडा को निजभार लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा